राजस्व वाद 55/2021
जीसीएमएस नंबर 2021/115
ईश्वरराम उर्फ ईसरराम बनाम् नानूराम वगैरह

— : : आदेश : : —

यत वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, सपठित धारा 209, सपठित धारा 139 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर संख्या 101/1984 में पारित निर्णय एवं डिक्री पर्चा में तहसीलदार जायल द्वारा नामान्तकरण 218 द्वारा क्षैतिज स्थिति/आड़े रूप मे की गई तरमीम का निरस्त किया जाता है एवं शित किया जाता है कि वाद संख्या 101/1984 में पारित निर्णय एवं डिक्री पर्चा अनुसार तरमीम शुद्ध कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। राजीनामें में प्रस्तुत नजरीनक्शा जो पेश है राजीनामा का अभिन्न भाग रहेगा।

1. वादी ईशरराम उर्फ ईसरराम उर्फ ईश्वरराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा कमेड़िया का खेत खसरा नंबर 277/426 रकबा 8.6684 हैक्टेयर में से 3.4884 हैक्टेयर पूर्वी भाग, खसरा नंबर 277/427 रकबा 7.1548 हैक्टेयर में से 2.5900 हैक्टेयर पूर्वी भाग, खसरा नंबर 277 रकबा 7.1548 हैक्टैयर में से 2.5900 हैक्टेयर पूर्वी भाग कुल 8.6684 हैक्टेयर भूमि रखी जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
2. प्रतिवादी 1 नानूराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा कमेड़िया का खेत खसरा नंबर 277/426 रकबा 8.6684 हैक्टेयर में से 2.5900 हैक्टेयर पश्चिमी भाग, खसरा नंबर 277/427 रकबा 7.1548 हैक्टेयर में से 2.2824 हैक्टेयर पश्चिमी भाग, खसरा नंबर 277 रकबा 7.1548 हैक्टैयर में से 2.2824 हैक्टेयर पश्चिमी भाग कुल 7.1548 हैक्टेयर भूमि रखी जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
3. प्रतिवादी 2 बगताराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा कमेड़िया का खेत खसरा नंबर 277/426 रकबा 8.6684 हैक्टेयर में से 2.5900 हैक्टेयर मध्य भाग, खसरा नंबर 277/427 रकबा 7.1548 हैक्टेयर में से 2.2824 हैक्टेयर मध्य भाग, खसरा नंबर 277 रकबा 7.1548 हैक्टेयर में से 2.2824 हैक्टेयर मध्य भाग कुल 7.1548 हैक्टेयर भूमि रखी जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

नोट– बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो।

निर्णय आज दिनांक 08/10/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर मजमे आम सुनाया गया।

08/10/2021
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner